कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/2021/148/3834 भोपाल, दिनांक 3-6-2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, वन विकास निगम
3. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
4. समस्त सचांलक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश

विषय :— वन्यप्राणी अपराध प्रकरण में जप्त वाहन एवं अन्य सामग्रियों के निवर्तन के संबंध में।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्र/संरक्षण/3812 दि0 02.07.2020.

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत पत्र के तारतम्य में लेख है कि इस कार्यालय को ज्ञात हुआ कि कुछ वनमण्डल/टाइगर रिजर्व के द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के कारण दर्ज प्रकरणों में जप्त वाहन एवं अन्य सामग्रियों को विभागीय कार्यवाही करते हुये शासकीय सम्पत्ति घोषित कर दिया गया या राजसात की कार्यवाही की गई अथवा अर्थदण्ड लगाकर मुक्त कर दिया गया।

इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत विभाग को जप्त वाहन एवं अन्य सामाग्रियों को शासकीय सम्पत्ति घोषित करने, अर्थदण्ड लगाकर मुक्त करने या राजसात की प्रक्रिया करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विरूद्व मधुकर रॉव वर्ष 2008 तथा पी.सी.सी.एफ विरूद्ध जे.के. जॉनसन वर्ष 2011 में पारित निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वन्यप्राणी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार आरोपी के विरूद्व सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर व न्यायालयीन आदेश से जप्त समस्त सामाग्री, वाहन शासकीय सम्पत्ति हो जावेगी तथा विभाग को जप्त सामाग्री व वाहन के निवर्तन हेतु अधिकार नहीं हैं, इस संबंध में केवल सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय ही विधिनुसार कार्यवाही कर सकते है।

उपरोक्त बिन्दुओं के तारतम्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थों को उपरोक्त प्रावधानों से अवगत करावें ताकि विभाग द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर विधिविरूद्ध आदेश जारी होने से बचा जा सकें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

3/06/2021

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3-6-2021

पृ.क्रमांक/संरक्षण/2021/148/3835

प्रतिलिपि :—

1. प्रबंध संचालक वन विकास निगम, पंचानन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—संरक्षण) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी) एवं मण्डल प्रबंधक वन विकास निगम म.प्र. को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.